लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2023 (GCMS 2023/19)	12.01.2023	31.01.2023

अनवान

राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./009/2023 (सू.अ.) (31.01.2023) /43 दिनांक 12.01.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.01.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 31.01.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, अतः सूचना दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/14 दिनांक 27.01.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2022, इस कार्यालय में दिनांक 07.12.2022 को प्राप्त हुआ हैं।

2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को आवेदन पत्र की प्रति भेजकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करते हुए प्रार्थी को भी इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/458 दिनांक 26.12.2022 से सूचना से अवगत करवा दिया गया हैं।

3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/14 दिनांक 27.01.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.12.2022 (प्राप्ति दिनांक 07.12.2022) को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/458 दिनांक 26.12.2022 से संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को प्रेषित करते हुए आवेदन से वांछित सूचना सीधे ही अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नको के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के आवेदन को आवेदन प्राप्ति की दिनांक 07.12.2022 से 18 दिवस पश्चात् दिनांक 2612.2022 को संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया।

इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01, 02 एवं 03 की सूचना प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से एवं बिन्दु संख्या 05 की सूचना तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) के अधीन होने से यह अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी का दायित्त्व है कि वह संबंधित लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावें। इसके साथ ही अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने के पश्चात् भी संबंधित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो सर्वथा अनुचित प्रतीत होता हैं।

इसके अतिरिक्त अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में प्रावधित किया गया है कि **"यदि कोई आवेदन किसी लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये अनुरोध करते हुए किया जाता है कि (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्य अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हैं, वहाँ, वह लोक अधिकारी, जिसके समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समूचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा एवं अन्तरण की सूचना तुरंत आवेदक को भी देगा। परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन को अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।" हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरित किया गया हैं जो सर्वथा अनुचित है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रार्थी का आवेदन स्थानान्तरित करने के कारण अब यह अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी का दायित्त्व है कि वह संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावें।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारियों से प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 31.01.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official